BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 429 OF 2022

IN THE MATTER OF :

Riddhima Pandey ... Applicant

Versus

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ... Respondents

INDEX

S.No	Particulars	Page no
1.	Order dated 18.07.2024 passed by District Magistrate, Champawat for Imposing penalty on Respondent No 6 for misusing E-Ravanna.	1

Dated 20.08.2024

Adv Anjali Rajput
Panel Counsel for State of Uttarakhand
Chamber no 136, M.C. Setalvad Block,
Supreme Court of India
New Delhi 110001

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत।

संख्या– 4463/तीस–खनन/2024–25 दिनांक– **18 जुलाई, 2024**

प्रो0 श्री तरूण पंत पुत्र श्री दिनेश पन्त,
मै0 शिव शक्ति ट्रेडर्स,
टनकपुर, चम्पावत।

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–429/2022 रिधिमा पाण्डे बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या–1048/VII-A–1/2024–09(88)/2022 **दिनांक 18 जुलाई, 2024 (छायाप्रति संलग्न)** का सदर्भ ग्रहण करे। उक्त पत्र द्वारा शासन के पत्र संख्या–**797**/VII-A–1/2024–09(88)/2022 दिनांक 31.05.2024, जिसकी **प्रतिलिपि आपको को भी है (छायाप्रति संलग्न)**, के कम में आपसे **दिनांक 08.06.2021 से 17.06.2021 तक** की अवधि में अवैध परिवहन पर अधिरोपित धनराशि की वसूली किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अवगत कराना है कि शासन के उपरोक्त पत्र संख्या–**797**/VII-A–1/2024–09(88)/2022 दिनांक 31.05.2024 में लिये गये निर्णय का **प्रभावी भाग (Operative Part) निम्नवत् हैः–**

"दिनांक 08.06.2021 से 17.06.2021 तक प्रयुक्त दो–पहिया वाहनों एवं थ्री–व्हीलर ऑटो/ई–रिक्सा से किये गये आर0बी0एम0/मलबे के पविहन की कुल मात्रा 9128 कु0 अर्थात 912.8 टन, जिसका विवरण अपर जिलाधिकारी, चम्पावत के पत्र दिनांक 27.01.2024 में अंकित किया है, पर तत्समय प्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 के नियम 13(5)(क) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत रू0 2.00 लाख अर्थदण्ड एवं अवैध वाहनों से परिवहन किये गये अवैध उपखनिज की मात्रा पर रायल्टी का 05 गुना अर्थात रू0 3,19,480/–(70x5=350x912.8 टन) की धनराशि अधिरोपित करते हुए उक्त अधिरोपित धनराशि को विभागीय लेखाशीर्षक में अविलम्ब जमा कराये जाने का निर्णय लेते हुए तद्नुसार प्रकरण को निक्षेपित किया जाता है।"

अतः औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के उपरोक्त **पत्र सख्या–797**/VII-A–1/2024–09(88)/2022 दिनांक 31.05.2024 एवं **पत्र संख्या–1048**/VII-A–1/2024– 09(88)/2022 **दिनांक 18 जुलाई, 2024 की प्रति संलग्न कर, आपको अनुपालनार्थ प्रेषित की जा रही है।**
संलग्न–यथोपरि।

(हेमन्त कुमार वर्मा)
प्र0जिलाधिकारी,
चम्पावत।

प्रतिलिपिः–
1–अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– एडवोकेट अंजली राजपूत, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
3– **जिला खान अधिकारी, चम्पावत** को उपरोक्त **पत्र सख्या–797** दिनांक–31.05.2024 **एवं पत्र संख्या–1048 दिनांक 18.07.2024 (छायाप्रति संलग्न)** इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में तत्काल उपरोक्त पत्रों में दिये गये निर्देशों का **मै0 शिव शक्ति ट्रेडर्स प्रो0 श्री तरूण पंत पुत्र श्री दिनेश पन्त, निवासी टनकपुर, चम्पावत** से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
4– तहसीलदार पूर्णागिरि (टनकपुर) को उक्त पत्र की 02 प्रतियां इस निर्देश के साथ प्रेषित कि 01 प्रति **मै0 शिव शक्ति ट्रेडर्स प्रो0 श्री तरूण पंत पुत्र श्री दिनेश पन्त, निवासी टनकपुर,** चम्पावत को तामिल कर, द्वितीय प्रति तामिली उपरान्त इस कार्यालय को प्रत्यावर्तित करना सुनिश्चित करें।

प्र0जिलाधिकारी,
चम्पावत।